राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वाधान में

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान

दिनांक 01-07-2025 से 30-09-2025 तक

एक प्रयासः-

न्यायालय से बाहर समाधान का जन-जागरूकता हेतु विशेष राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान

दिनांक 01-07-2025 से 30-09-2025 तक

आप अपने निम्नलिखित श्रेणियों के लम्बित मामलों को राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के माध्यम से सुलह-समझौते द्वारा समाधान करा सकते हैं

- वैवाहिक विवाद (जैसे दाम्पत्य कलह, भरण-पोषण, तलाक सम्बंधी मामले)
- मोटर दुर्घटना के मामले
- घरेलू हिंसा के मामले
- चैक बाउंस के मामले
- वाणिज्यिक विवाद के मामले
- सेवा सम्बन्धी विवाद के मामले
- शमनीय आपराधिक मामले
- उपभोक्ता विवाद के मामले
- ऋण वसूली के मामले
- सम्पत्ति के बंटवारे के मामले
- बेदखली से सम्बन्धित मामले
- भूमि अधिग्रहण के मामले
- अन्य उपयुक्त दीवानी मामले

लाभः-

- शीघ्र समाधान
- पारस्परिक समझ और सम्बंधों में सुधार
- समय और धन की बचत
- गोपनीयता बनी रहती है।
- कोई न्याय शुल्क नहीं

नोटः- पक्षकार विडियो कान्फ्रेसिंग अथवा विडियो कॉल के माध्यम से मध्यस्थता प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

कार्यालयः- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला न्यायालय परिसर, फ़तेहपुर

संजय सिंह-I, एच0जे0एस0
सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

U.P. State Legal Services Authority

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

समस्त जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 2087 /एसएलएसए–83/2025 दिनांक : जुलाई 01 ,2025

विषय : राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई 2025 से दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है।

उक्त के कम में माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/ माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उक्त अभियान के सफल आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रकिया इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है, जो कि संगत विषय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यस्थता निगरानी समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के सामन्जस्य एवं तारतम्य में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत अधिकाधिक संख्या में लम्बित प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(संजय सिंह-I)
सदस्य सचिव

पत्रांक एवं दिनांक समांक।
प्रतिलिपि, श्रीमान महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय सिंह-I)
सदस्य सचिव

ANNEXURE NO. 1

राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अपनायी जाने वाली
मानक संचालन प्रकिया

- राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान दिनांक 01 जुलाई, 2025 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2025 तक प्रगामी रहेगा। इसकी समय सीमा का विवरण निम्नवत् है –
  - 01 से 31 जुलाई, 2025 तक मध्यस्थता हेतु उपयुक्त प्रकरणों की पहचान की जायेगी, प्रकरण को मध्यस्थता के लिये संदर्भित किया जायेगा, पक्षकारों को सूचना दी जायेगी।
  - 31 जुलाई, 2025 को सभी संदर्भित मामलों की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विहित प्रारूप पर राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।
  - मध्यस्थता के माध्यम से निपटाये गये मामलों की सूचना माह अगस्त की तिथि 04, 11, 18, 25 तथा माह सितम्बर की तिथि 01, 08, 15, 22 को राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।
  - मध्यस्थता हेतु संदर्भित एवं निपटाये गये कुल मामलों का विवरण राज्य प्राधिकरण द्वारा 06 अक्टूबर, 2025 को एम0सी0पी0सी0 नई दिल्ली को प्रेषित किया जायेगा।
- निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को मध्यस्थता हेतु संदभित किया जा सकता है, जिनमें समाधान की संभावना प्रबल हो –
  - वैवाहिक विवाद के मामले
  - दुर्घटना दावे के मामले
  - घरेलू हिंसा के मामले
  - चैक बाउन्स के मामले
  - वाणिज्यिक विवाद के मामले
  - सेवा विवाद के मामले
  - शमनीय आपराधिक मामले
  - उपभोक्ता विवाद के मामले
  - ऋण वसूली के मामले
  - सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले
  - बेदखली से संबंधित मामले
  - भूमि अधिग्रहण के मामले
  - अन्य उपयुक्त दीवानी मामले
- समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इस हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी –
  - विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जन–सामान्य को अभियान की जानकारी दी जायेगी।
  - सभी संबंधित न्यायालयों द्वारा वादकारियों को सुसंगत मामलों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

- सभी न्यायालयों के प्रवेश द्वार के समीप सहजदृश्य स्थान पर अभियान की जानकारी से संबंधित सूचना/पोस्टर चस्पा किये जायेंगे।
- न्यायालयों, कलेक्ट्रेट, तहसील, एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर अभियान की जानकारी से संबंधित बैनर स्थापित किये जायेंगे।
- ब्लाक एवं पंचायत कार्यालय पर भी अभियान की जानकारी से संबंधित पोस्टर स्थापित किये जायेंगे।
- स्थानीय समाचार–पत्रों में अभियान की सूचना नियमित अन्तराल पर प्रकाशित करायी जायेगी।
- रेडियो, टी0वी0, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
- सोशल मीडिल हैन्डल के माध्यम से अभियान की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

- प्रकिया – राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान की सफलता के लिये निम्न प्रकिया का अनुसरण किया जा सकेगा –
  - सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अभियान से परिचित कराने के लिये बैठक आयोजित की जायेगी और उपयुक्त प्रकृति के अधिकाधिक मामलों को संदर्भित करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
  - संदर्भित किये गये मामलों का विवरण उचित प्रारूप पर संरक्षित किया जायेगा और उसकी दैनिक समीक्षा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
  - संदर्भित किये गये मामलों की सूचना संबंधित पक्षकारों को प्रदान की जायेगी।
  - सूचना का प्रभावी तामीला सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु तहसील प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
  - सूचना/नोटिस प्रेषित करने वाले प्रारूप में मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित होने की तिथि और समन्वयक का दूरभाष संख्या उल्लिखित होना चाहिए।
  - उक्त सूचना/नोटिस में यह विकल्प भी उल्लिखित होना चाहिए कि यदि पक्षकार चाहें तो ऑनलाईन माध्यम से मध्यस्थता में भाग ले सकते हैं। इस हेतु वीडियो कान्फ्रेन्सिंग/वीडियो कॉल सुविधा का प्रयोग किया जायेगा।
  - मध्यस्थता हेतु संदर्भित मामलों को (आफलाईन एवं ऑनलाईन/ सी0आई0एस0) काजलिस्ट में निम्नवत् सूचीबद्ध किया जायेगा –
    - For referral to the special Mediation Drive – Mediation for the Nation.
  - संदर्भित मामलों में मध्यस्थता कराने के लिये सभी प्रशिक्षित मध्यस्थों का सहयोग लिया जायेगा।
  - संदर्भित मामलों में मध्यस्थता कराने के लिये, न्यायालय में बैठने की अवधि के पूर्व व पश्चात, जज मीडियेटर्स का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
  - मध्यस्थता का कार्य आवश्यकतानुसार सप्ताह के सातों दिन, अभियान की अवधि तक, सम्पूर्ण कार्य–अवधि (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक) के दौरान सम्पादित कराया जायेगा।
  - अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता के अनुरूप मध्यस्थता वार्ता हेतु सभी मध्यस्थों एवं पक्षकारों के बैठने का उचित प्रबन्ध किया जायेगा।

- जो पक्षकार ऑनलाईन मीडियेशन चाहते हैं अथवा कतिपय कारणों से मध्यस्थता केन्द्र तक आने में सक्षम नहीं हैं उन्हें वीडियो कान्फ्रेन्सिंग अथवा वीडियो कॉल के माध्यम से मध्यस्थता प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।
    - अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन मीडियेशन हेतु वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
    - सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा अपने कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग एवं वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
    - संदर्भित मामलों में मध्यस्थता की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ कर दी जायेगी और अधिकाधिक मामलों को सफलतापूर्वक निपटाने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु काउन्सलर्स एवं विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
- अध्यक्ष, जिला विधिक़ सेवा प्राधिकरण द्वारा समय से आंकड़ों का प्रेषण सुनिश्चित कराया जायेगा। आकड़ों के प्रेषण की समय सीमा निम्नवत् होगी–
    - संदर्भित एवं निस्तारित मामलों का विवरण निम्न प्रारूप पर प्रेषित किया जायेगा।

क0 सं0	वाद संख्या	पक्षकारों का नाम	संदर्भित करने वाले न्यायालय का नाम	मामले की प्रकृति	मध्यस्थ का नाम	मध्यस्थता की प्रथम तिथि	अन्तिम परिणाम एवं तिथि

    - संदर्भित मामलों का सम्पूर्ण विवरण दिये गये प्रारूप पर दिनांक 30.07.2025 के अपरान्ह 03:00 बजे तक राज्य प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।
    - मध्यस्थता के माध्यम से निपटाये गये मामलों का विवरण उपरोक्त प्रारूप पर निम्नांकित तिथियों को राज्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा।
        - 03 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 24 अगस्त, 31 अगस्त, 07 सितम्बर, 14 सितम्बर, 21 सितम्बर, 2025
    - अभियान की समाप्ति पर दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को सम्पूर्ण समेकित विवरण राज्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जायेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार समस्त विवरण माननीय उच्च न्यायालय की मध्यस्थता निगरानी समिति को प्रेषित किया जायेगा।
- मध्यथता अभियान की व्यापक सफलता के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार प्रकियात्मक नीति बनाकर उपयोग की जा सकेगी।
- **अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अभियान के प्रचार–प्रसार हेतु अधिकतम रू0 30,000/– की सीमा तक नालसा अनुदान से व्यय किया जा सकेगा।**
- **माननीय उच्च न्यायालय एवं मध्यस्थता निगरानी समिति द्वारा उपरोक्त अभियान के संबंध में दिये गये निर्देशों के सामन्जस्य/तारतम्य में यह निर्देश लागू होंगे।**

ANNEXURE NO. 2

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY (NALSA)

MEDIATION AND CONCILIATION PROJECT COMMITTEE (MCPC)

NALSA-MCPC-Spl Campaign -1/2025-26
Dated 27th June,2025

To,

The Registrar General

High Court of Judicature at Allahabad,

Allahabad

Sub: Mediation "For the Nation" Campaign (90 days' Mediation drive to settle pending cases in all the Taluka Courts, District Courts and High Courts of India.

Sir/Madam,

This is to apprise you that the **National Legal Services Authority** in association with the **Mediation & Conciliation Project Committee**, Supreme Court of India has conceptualized the **Special Mediation Drive- Mediation 'For The Nation'** under the the guidance of **Hon'ble the Chief Justice of India** and **Hon'ble Mr. Justice Surya Kant**, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA and Chairman, MCPC. The "Mediation for the Nation" campaign is being launched across the length and breadth of India. It is a 90 days' intensive drive to settle pending cases in all the Taluka Courts, District Courts and High Courts of India through mediation.

The **Standard Operating Procedure** as approved by the **Hon'ble Mr. Justice Surya Kant**, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA and Chairman, MCPC for this Campaign- Mediation 'for the Nation' is enclosed with this letter as **Annexure-A.**

The time line for the aforesaid Campaign – Mediation 'For the Nation' is as under:

TIME LINE

1st JULY TO 31st JULY- Case identification, Information to parties and referral to Mediators. (Note- Efforts for mediation will begin soon after referral to Mediator)

July 2025- VC of His Lordship **Hon'ble Justice Surya Kant** with Chief Justices and Members of Mediation Monitoring Committees of all High Courts of India. **(Date of VC will be communicated in due course)**

31-7-2025- Transmission of data to MCPC by all the High Courts as to total matters pending as well as referred to mediation under each category in the State on the dedicated email id (**dedicated email id will be shared to all High Courts in due course**)

4th, 11th, 18th ,25th August and 1st, 8th, 15th and 22nd September 2025 – Transmission of data as to matter settled through mediation to the MCPC by the SLSA on the dedicated email.

6-10-2025- Transmission of data as to total matters referred to Mediation and total matters settled to the MCPC by the High Court on the dedicated email (format is given in the SOP- Annexure A)

7th October 2025- Press Release by each SLSA/Mediation Monitoring Committee of the High Court

You are requested to nominate a senior judicial officer as the nodal officer for the State to send the data in time as also to coordinate with the NALSA and MCPC.

I have been directed to request your good self to place the Letter before the Hon'ble the Chief Justice of High Court for His Lordship's kind perusal and needful.

With regards,

Encl. - As above

Yours sincerely

Bharat Parashar
Member Secretary,NALSA

Santosh Kumar
Secretary, MCPC

Copy To:

1. Secretary to the Government of India
Department of Justice, Ministry of Law & Justice,
New Delhi
2. Secretary to Government of India
Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice
New Delhi
3. Chief Secretary
State of Uttar Pradesh
With the request that as the State is one of the parties in large number of cases, active involvement of State Officers in this **Campaign-Mediation for the Nation** is essential. Therefore, it is requested that all the departments whose matters are pending in the Courts- Taluka to High Court- may be impressed upon to make extra efforts to identify their respective cases and take pro-active steps for maximum settlement of cases in the drive.
4. Member Secretary, State Legal Services Authority for placing it before Hon'ble Executive Chairman for kind information.

Secretary MCPC

ANNEXURE A

The Standard Operating Procedure as approved by the Hon'ble Executive Chairman NALSA and Chairman, MCPC for the Campaign- Mediation 'For the Nation'.

1. TIME LINE

1St JULY TO 31st JULY- Case identification, Information to parties and referral to Mediators. (**Note- Efforts for mediation will begin soon after referral to Mediator**)

July 2025- VC of His Lordship **Hon'ble Justice Surya Kant** with Chief Justices and Members of Mediation Monitoring Committees of all High Courts of India. (Date of VC will be communicated in due course)

31-7-2025- Transmission of data to MCPC by all the High Courts as to total matters pending as well as referred to mediation under each category in the State on the dedicated email id (**dedicated email id will be shared to all High Courts in due course)**

4th, 11th, 18th ,25th August and 1st , 8th , 15th and 22nd September 2025 – Transmission of data as to matter settled through mediation to the MCPC by the SLSA on the **dedicated email.**

6-10-2025- Transmission of data as to total matters referred to Mediation and total matters settled to the MCPC by the High Court on the dedicated email (format is given in this SOP- Annexure A)

7th October 2025- Press Release by each SLSA/Mediation Monitoring Committee of the High Court

Action by the High Court/District Court/Taluka Court

2. All matters having elements of settlement including matters pending under each of the following categories may be referred for mediation.

MATRIMONIAL DISPUTES CASES,

ACCIDENT CLAIMS CASES,

DOMESTIC VIOLENCE CASES,

CHEQUE BOUNCE CASES,

COMMERCIAL DISPUTES CASES

SERVICE MATTERS CASES,

CRIMINAL COMPOUNDABLE CASES,

CONSUMER DISPUTES CASES,

DEBT RECOVERY CASES,

PARTITION CASES,

EVICTION CASES,

LAND ACQUISITION CASES,

OTHER SUITABLE CIVIL CASES

3. High Courts and District Courts may identify suitable cases from their database irrespective of the date fixed in the matter. For notice/intimation to the parties, the Courts may list them in the Cause list from 01-07-2025 to 31-07-25 under the Heading – "For Referral to the Special Mediation Drive- Mediation 'For the Nation'.

4. All such matters should be referred in which there exists an element of settlement.

5. Referral order should contain first date of mediation as well as mobile number and email id of the coordinator of the Mediation Centre where the parties are to appear for settlement efforts.

<u>Action by SLSA/DLSA/TLSC/Mediation Centre</u>

6. All existing Mediators including the Mediators who have undergone 40 Hours Mediation Training recently shall be involved in this Campaign and matters shall be marked to them.

7. Mediation settlement efforts shall be made on all 7 days of the week as per the convenience of the parties.

8. Parties willing to appear online shall be allowed to appear online.

9. Mediation may be completely in offline mode (physical mode), completely in online mode or in Hybrid mode.

10. Taluka or District Legal Services Authority shall facilitate online mediation.

11. Help of counselors, subject matter experts may be taken in the special campaign wherever required.

12. Entire data of cases settled shall be transmitted to the MCPC in tabular chart containing case no., name of the parties, Referral Court's name, category/nature of the case, name of the mediator, first mediation date and final result date.

SI.NO.	Case No.	Parties' Name	Referral Court's Name	Category/Nature of case	Mediator	First date of Mediation	Final Result Date

Action by SLSA/High Court Mediation Monitoring Committee

13. Wide publicity in the print and electronic media should be given to this Mediation Campaign- Mediation 'For the Nation' by the SLSA/High Court Mediation Monitoring committee in regional languages also. The SLSA/High Court Mediation Monitoring Committee may get the campaign document and all other relevant materials translated in to the regional languages of the State.

14. Mediation Monitoring Committee of the High Court may monitor the mediation campaign to ensure its success.

15. Concerned High Court may make its own strategy for ensuring success of this campaign.

Action by Secretary MCPC

16. MCPC shall request the NJA Bhopal to conduct intensive study on all aspects of the campaign including its impact in association with such National Law Universities which it deems fit.

17. MCPC shall inform the Secretary to the Government of India about this campaign.